रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19092025-266247
CG-RJ-E-19092025-266247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4096] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 4096] NEW DELHI, WEDNESDAY SETEMBER 17, 2025/ BHADRA 26, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर,16 सितम्बर 2025

का.आ.4213(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम (संशोधन) 2008 (2008 का 11वां) (जिसे इसमें इसके पश्चयात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप) खण्ड-ii), दिनांक 10 जुलाई 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (उत्तर पश्चिम रेलवे निर्माण विभाग) की अधिनियम संख्या का आ. 3071 (अ) दिनांक 10 जुलाई 2025 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, राजस्थान राज्य के अजमेर जिले की तहसील अजमेर में विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 20 अ की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात "दैनिक भास्कर" और "राजस्थान पत्रिका " में तारीख 13 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को इस परियोजना में तय समय में प्राप्त आपत्ति का निस्तारण किया जा चुका है ;

और, उक्त अधिनियम की धरा सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उप-धारा (20)ड. की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम, की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूवोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और की, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2ई की उपधारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है की इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

भारतीय रेलवे विशेष रेल परियोजना उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में अजमेर – चंदेरिया खंड (178.28 किमी) दोहरीकरण परियोजना के लिए अवाप्ताधीन सार्वजनिक भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण :-

जिले का नाम - अजमेर **तहसील का नाम – अजमेर**

क्र. सं.	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अवाप्त रकबा (हैक्टेयर में)	भूमि मालिक का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	1762/2463	बारानी 3	निजी	0.04	0.0400	1.) रेशमी पत्नी छीतर हिस्सा 1/6, जाती चीता सा. देह खातेदार। 2.) शांति पत्नी लाला हिस्सा – 5/6, जाति- चीता सा. देह खातेदार।
कुल योग :						0.0400	

[फा.सं. उपरे /मुख्यालय /एस एण्ड सी /443599200 भाग-20]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य, प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 16th September, 2025

S.O. 4213(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (North Western Railway, Construction organisation), Notification number, S.O. **3071(E).** dated the 10th July, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 10th July, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (i) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **"Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)" of Ajmer Division of North Western Railway"** in District Ajmer in the state of Rajasthan.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely **"Dainik Bhaskar"** and **"Rajasthan Patrika"** Dated 13th July-2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections received within the stipulated time period were resolved by Competent Authority and accordingly.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declare that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, The Central Government herby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure for Special Railway Project namely **"Doubling between Ajmer-Chanderiya section (178.28km)" of Ajmer Division of North Western Railway".**

District Name – Ajmer **Tehsil Name - Ajmer**

Sr. No.	Village Name	Survey No./Khasra No.	Nature of land	Type of Land	Total Area (in	Acquired Area (in Hact.)	Land Owner Detail
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hatoondi	1762/2463	Barani-3	Private	0.04	0.0400	1.) Reshmi patni Chitar hissa- 1/6, jaati – Cheeta sa.deh khatedar. 2). Shanti patni Lal hissa – 5/6, jaati – Cheeta sa. Deh khatedar
					SUB TOTAL :	**0.0400**	

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol.XX]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.19 11:19:25 +05'30'